रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082020-221285
CG-DL-E-21082020-221285

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942
No. 328] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SHRAVANA 30, 1942

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2020

सं. एच.आर.डी./24/2016/आर.आर./स्टैनो कैडर.—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आशुलिपिक सेवा नियम, 1998 का अधिक्रमण करते हुए, जहाँ तक कि यह निजी सहायक के पद से संबंधित हैं, इसके पूर्व किए गए अथवा बाकी रह गए बदलाव के अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि,केंद्र सरकार के अनुमोदन से, एतदद्वारा केंद्रीय बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)में निजी सहायक के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा :

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ**—(1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,(निजी सहायक)भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2)ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल -** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वही होगा जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **अयोग्यता-** कोई भी व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह या इसका अनुबंध किया है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या इसका अनुबंध किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, यदि संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की उस व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन इसकी अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **ढील देने की शक्ति-** जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके, केंद्र सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग की पूर्व अनुमति लेकर, इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।

6. **व्यावृत्ति–** इन नियमों से ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैरचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निजी सहायक	434* (2020) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	ग्रुप'बी'	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (44,900-1,42,400 रूपये)	चयन पद

सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता, पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के द्वारा भर्ती की पद्धति तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट) **नोट:**आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि वही होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति तथा चम्बा जिले का पंगी उप खंड, जम्मू और कश्मीर,	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (ii) (ए) डिक्टेशन: आशुलिपि(अंग्रेज़ी अथवा हिंदी) में 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड (बी) (ii)(ए) के अनुसार डिक्टेशन के लिए लिप्यंतरण का समय:50 मिनट (अंग्रेजी) / 65 मिनट (हिंदी) (केवल कंप्यूटर पर) **नोट 1 :** पूर्णतया योग्य उम्मीदवारों के मामले में, कारणों को लिखित में रिकॉर्ड	लागू नहीं	दो वर्ष	(i) 75% सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 25% पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघु- अवधि अनुबंध सहित)

लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप का केंद्र शासित प्रदेश के लिए निर्धारित तिथि)	कर, संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेकानुसार योग्यता में छूट दे सकता है। **नोट 2 :** यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, कारणों को लिखित में रिकॉर्ड कर, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबधित अर्हता में छूट दी जा सकती है।			

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे ग्रेड, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्तिया आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में लेवल 4 (25,500-81,100 रूपये) ग्रेड में पंद्रह वर्ष की नियमित सेवा वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आशुलिपिक। **नोट 1:** इन नियमों की अधिसूचना की तिथि पर नियमित आधार पर आशुलिपिक के फीडर पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए निजी सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता सेवा पांच वर्ष ही रहेगी। **नोट 2**: जहां पदोन्नति के लिए अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, तो उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक अथवा पात्रता सेवा कम न हो, जोकि उनकी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा की अवधि से आधी अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, तथा जिन्होने अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपने उन कनिष्ठ अधिकारियों के साथ परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो जो पहले से ही अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि अनुबंध सहित): केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों अथवा संघ शासकीय प्रशासन अथवा स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनो अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में आशुलिपिक के पद पर कार्यरत अधिकारी: (ए) (i) मूल कैडर अथवा विभाग में समरूप पदो पर कार्यरत; अथवा (ii) मूल कैडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6(35,400-1,12,400 रूपये) आशुलिपिक ग्रेड में नियमित नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा अथवा समकक्ष। **नोट 1**: फीडर वर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति शीघ्र होने बाकी हैं, उन पर प्रतिनियुक्ति के लिए नियुक्ति पर विचार नहीं	ग्रुप **'बी'** विभागीय पदोन्नति समिति(पदोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें शामिल हैं:- 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; **2.** अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) (मानव संसाधन) - सदस्य; **3.** अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मानव संसाधन प्रबंधन) - सदस्य; **4.** क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड- I(मानव संसाधन प्रबंधन) - सदस्य। ग्रुप **'बी'** विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि पर विचार करने हेतु) जिसमें शामिल हैं:- **1.** अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) (मानव संसाधन) - अध्यक्ष; **2.** अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मानव संसाधन प्रबंधन) - सदस्य; **3.** क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड- I (मानव संसाधन प्रबंधन) - सदस्य।	इस पद पर नियुक्ति के लिए हर बार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता है।

किया जाएगा। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। **नोट 2**: उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा केंद्र सरकार के किसी विभाग में इस नियुक्ति से पूर्व अन्य एक्स कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि अनुबंध सहित), 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए (लघु अवधि अनुबंध सहित)अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		

सुनील बड़थ्वाल, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं
सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

[विज्ञापन III/4/असा./193/2020]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2020

No. HRD/24/2016/RRs/Steno Cadre.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation Stenographers Service Rules, 1998, in so far as they relate to the post of Personal Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board, Employees' Provident Fund with the approval of the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Personal Assistant in the Central Board (Employees' Provident Fund Organisation), namely:—

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation (Personal Assistant) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale**.—The number of the posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications:—No person,—**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or;

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:—**Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with the Central Government and the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings:—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward

Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Personal Assistant	434 * (2020) *subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level-7 in the Pay Matrix (Rs.44,900-1,42,400)	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants and for employees of the Employees' Provident Fund Organisation upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territory of Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman & Nicobar islands or Union territory of Lakshadweep).	(i) Bachelor's Degree from a recognised University; (ii) (a) Dictation:- Speed of 120 words per minute in Stenography (English or Hindi) (b) Transcription Time for the dictation taken as per (ii) (a): 50 minutes (English) / 65 minutes (Hindi) (Only on Computer) **Note 1**: Qualification are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made
(10)	(11)
(i) 75% by Direct Recruitment (ii) 25% by promotion failing which by deputation (Including short-term contract)	**Promotion:** Stenographers of Employees' Provident Fund Organisation in Level-4 in the Pay Matrix [Rs.25500-81100] with fifteen years regular service in the grade. **Note 1**: The eligibility service for promotion to the post of Personal Assistant shall continue to be five years for persons holding the feeder posts of Stenographer on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Government or Union Territory Administrations or Autonomous or Statutory Organisations or Public Sector undertaking or recognized University or Institute or Research Institutes: (A) (l) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or

	(ll) With five years' service in the Stenographer grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-6 in the Pay Matrix (Rs.35400 - 112400) or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointrnent by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member, UPSC - Chairman 2. Additional Central Provident Fund Commissioner (Headquarters) (Human Resource) – Member 3. Additional Central Provident Fund Commissioner (Human Resource Management) – Member 4. Regional Provident Fund Commissioner, Grade-I (Human Resource Management)-Member Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Central Provident Fund Commissioner (Headquarters) (Human Resource) - Chairman 2. Additional Central Provident Fund Commissioner (Human Resource Management)-Member 3. Regional Provident Fund Commissioner, Grade-I (Human Resource Management)-Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

SUNIL BARTHWAL, Central Provident Fund Commissioner
& Secy., Central Board of Trustees, EPF.

[ADVT.-III/4/Exty./193/2020]

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.21 20:37:40 +05'30'